

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीतारसीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक/रीडर/2020/531

दिनांक - 27.2.20

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 लक्ष्मण 2 विक्रम पिसरान  
नगाराम 3 पिपली पत्नी नगाराम  
जाति जाट निवासी कपुरडी  
तहसील व जिला बाड़मेर।


1 उगराराम 2 लालाराम 3 तगाराम 4 नरसीगाराम 5  
शताराम पिसरान कलाराम 6 भोगीदेवी पत्नी कलाराम  
7 नानगाराम पुत्र सोनाराम 8 कैलाश 9 मोतीराम  
पिसरान पुनगाराम 10 रातियो पत्नी पुनगाराम 11  
रतनाराम 12 विगाराम पिसरान मोडाराम 13 वरजु  
पत्नी मोडाराम 14 मगनाराम 15 नैनाराम पिसरान  
नगाराम 16 पुरोदेवी पत्नी नगाराम जाति जाट  
निवासी कपुरडी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 120,111 राजस्व आधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 119/2019

दिनांक- 26.02.20

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कपुरडी पटवार क्षेत्र कपुरडी तहसील व जिला बाड़मेर के  
खसारा संख्या 498/107 स्कवा 76.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते  
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त  
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित  
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने  
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की  
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच  
सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 27.2.20

क्रमांक :- रीडर/2020/532-35

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपुरडी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. लक्ष्मण पुत्र नगाराम वगैराह जाति जाट निवासी कपुरडी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी उगराराम पुत्र कलाराम वगैराह जाति जाट निवासी कपुरडी तहसील व जिला  
बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी

